

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3445(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 54(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “अनुव्रत ग्राम भारती संस्थान, विनयपुरम, डाकघर चांकशेड, तहसील-मंडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान” द्वारा “विनयपुरम, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजना-प्राथमिक स्कूल के लिए भवनों का निर्माण, महिला और बाल कल्याण केंद्र, स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाऊस, प्रयोगशाला और पुस्तकालय हॉल, रसोई घर और भोजन कक्ष, ध्यान कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक, तीन और क्लास रूम का निर्माण, एक सम्मेलन हॉल, छात्रों के लिए दो बसे, स्टाफ के लिए एक बस, दस कंप्यूटर और अन्य फर्नीचर” की परियोजना को निधरिण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 23.02.2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 159(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 19.03.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 374(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1157(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 18.05.2009 की अधिसूचना सं. का.आ.1252(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3158(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1313(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 60.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 140.00 लाख रुपए कर दिया गया था;

और जबकि दिनांक 12.11.2008 के शुद्धिपत्र सं. का.आ. 4395(अ) द्वारा अनुमोदित परियोजना में तीन और क्लास रूम का निर्माण, एक सम्मेलन हॉल, छात्रों के लिए दो बसे, स्टाफ के लिए एक बस, दस कंप्यूटर और अन्य फर्नीचर को शामिल किया गया;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “अनुव्रत ग्राम भारती संस्थान, विनयपुरम, डाकघर चांकशेड, तहसील-मंडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान” द्वारा चलाई जा रही “विनयपुरम, जिला भीलवाड़ा,

राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजना-प्राथमिक स्कूल के लिए भवनों का निर्माण, महिला और बाल कल्याण केंद्र, स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाऊस, प्रयोगशाला और पुस्तकालय हॉल, रसोई घर और भोजन कक्ष, ध्यान कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक, तीन और क्लास रूम्स का निर्माण, एक सम्मेलन हॉल, छात्रों के लिए दो बसे, स्टाफ के लिए एक बस, दस कंप्यूटर और अन्य फर्नीचर” की परियोजना अथवा स्कीम को 140.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाली वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 271/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ (रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)